रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 1973/फाल्गुन 12, 1894

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 1973/PHALGUNA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March 1973

G.S.R. 155(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Governor of the State of Orissa and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

articles 167 and 169;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198, clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the

President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Orissa General Clauses Act, 1937 (Orissa Act 1 of 1937), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the legislature of the State.

NEW DELHI;
The 3rd March, 1973.

V. V. GIRI,
President

[No. F. 38/6/73-Pol.I]
GOVIND NARAIN, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1973

सा० का० नि० 155 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यतः, मुझे, भारत के राष्ट्रपति व० वे० गिरि को उड़ीसा राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूं :

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियों संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं ; अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निर्देश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का सबध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सबंध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बटवारे से है ;

अनुच्छेद 167 और 169 ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) ;

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमे ये दोनों सम्मिलित है)

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और खंड (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181 ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सबलम् और भत्तों से है ; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 और 196 ; अनुच्छेद 198 ;

अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सबध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सबलम् और भत्तों से है ; अनुच्छेद 208 से 211 (जिसमें ये दोनों सम्मिलित है) ;

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का सम्बध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधानमडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्द्वारा विघटित की जाती है ;

(iv) संविधान मे राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों मे है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

संसद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ, क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ,

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमे ये दोनो सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित है) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (i) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी :

(v) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमो या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उन अधिनियमों और विधियों को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के

उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1937 (1937 का उड़ीसा अधिनियम 1) और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली ;
3 मार्च, 1973

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 38/6/73-पोल I]
गोविन्द नारायण, सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1973

G.S.R. 156(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 3rd day of March, 1973, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Orissa and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI;
The 3rd March, 1973.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 38/6/73-Pol.I.]
GOVIND NARAIN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली 3 मार्च, 1973

सा० का नि० 156 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मार्च, 1973 के तीसरे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (i) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि उड़ीसा राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

नई दिल्ली ;
3 मार्च, 1973

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 38/6/73-पोल 1]
गोविन्द नरायण, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973